वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 148/2025 **प्रेस-नोट, थाना बरदह जनपद आजमगढ़** दिनांक-21.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 21.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01. थाना- तरवां क्षेत्रान्तर्गत दो पक्षों के मध्य हुई मारपीट व पथराव की घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, पूर्व में 13 अन्य अभियुक्तों की भी की जा चुकी है गिरफ्तारी।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.04.2025 को नागेन्द्र चौहान पुत्र रामायन चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ की बारात बेल्थरा रोड जनपद बलिया गयी थी। बारात में डीजे पर अपने-अपने पसंद का गाना बजवाने को लेकर बाराती ही आपस में लड़-भिड़ गये, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आयी थी, वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बिगुल चौहान पत्नी रमेश चौहान निवासी दानगंज थाना चोलापुर जनपद वाराणसी व कुछ अन्य महिला व बच्चे भी वर पक्ष के घर ग्राम ठाटा दोयम आये हुए थे। दिनांक 19.04.2025 को दूल्हे पक्ष के व गांव के अन्य तमाम लोग यह आरोप लगाने लगे कि इन्हीं महिलाओं के कहने पर बेल्थरा रोड बारात में मारपीट की घटना हुई है। सूचना प्राप्त होने पर मौके पर उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया द्वारा जाकर लोगों को काफी समझाया बुझाया गया किन्तु मौके पर उपस्थित महिला एवं पुरुष गाड़ी संख्या –UP65FH7238 को लगातार घेरे रहे तथा उक्त गाड़ी में बैठे महिलाओं बच्चों व चालक को बंधक बना लिये थे। काफी समझाने बुझाने पर भी उक्त महिला-पुरुष अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे तब उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया द्वारा थानाध्यक्ष तरवां व उच्चाधिकारीगण को जरिए दूरभाष मौके की स्थिति से अवगत कराया गया। थोड़ी ही देर में मौके पर थानाध्यक्ष तरवां चन्द्रदीप कुमार मय हमराह 1.का0 महेश कुमार,का0 नवीन कुमार पुलिस बल के मौके पर पहुंचे थोड़ी देरी में हस्बुल तलब पुलिस बल उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह, उ0नि0 पारसनाथ ,हे0का0 रमेश यादव,का0 हर्षित यादव,का0 राजकर्ण ,का0 प्रमोद कुमार,का0 रामबहादुर यादव,म0का0 पूनम मौर्या,म0का0नगीना मौर्या,म0का0पूजा सिंह ,का0 रामविलास प्रजापति, का0अंकित सिंह, का0 संदीप पटेल भी मौके पर आ गये। थानाध्यक्ष महोदय व मौजूद पुलिस बल द्वारा उपस्थित प्रदर्शनकारियों को काफी समझाया बुझाया गया किन्तु उपस्थित महिला पुरुष प्रदर्शनकारी अपने हाथ में लाठी, डण्डा, ईंट, पत्थर लेकर आमदा फौजदारी हो गये तथा गाड़ी संख्या –UP65FH7238 मे बैठे महिलाओं बच्चों एवं चालक पर जान मारने की नियत से हमला कर दिये जिसके कारण उक्त गाड़ी में बैठे महिलाओं एवं बच्चों को चोट आयी तथा गाड़ी को भी बुरी तरह से लाठी,डण्डा व ईट पत्थर चलाकर क्षतिग्रस्त कर दिये। किसी प्रकार से उक्त हमलावरों से बचाने के लिए गाड़ी संख्या – UP65FH7238 मे बैठे महिलाओं बच्चों एवं चालक को पुलिस बल द्वारा निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने हेतु थाना स्थानीय के वाहन संख्या -UP50AG 0370 एवं वाहन संख्या - UP50AG 0360 में बैठाया जा रहा था कि उक्त हमलावरों द्वारा थाना के सरकारी गाड़ी पर भी ईट पत्थर व लाठी डण्डा से हमलाकर उक्त सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमलावरों द्वारा हमला के दौरान गाली गलौज देते हुए कहे कि पुलिस वाले मिले हुए हैं पुलिस बालों को भी जान से मार दो कहते हुए हमला किये। मौके पर काफी तनाव पूर्ण व अफरातफरी का माहौल था। यदि पुलिस द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग नहीं किया जाता तो हमलावरों द्वारा बन्धक बनाये गये व्यक्तियों की जान हमलावरों द्वारा ले लिया जाता। बंधक बनाये गये लोगों को जीवन रक्षार्थ मौके पर हमला करने वाले 1.जसवन्त चौहान पुत्र अग्निदेव चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 2.चिरंजीव पुत्र विलास चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 3.शिव वचन पुत्र रमई चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 4.रविकान्त चौहान पुत्र बेहकू चौहान निवासी उचहुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 5.रामआशीष चौहन पुत्र दीप चन्द चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 6.सूरज चौहान पुत्र शोभनाथ चौहान निवासी सेर्रा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 7.राम सरेख चौहान पुत्र प्रभु चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 8.मुरली चौहान पुत्र भोजू चौहान निवासी बघरा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 9.फौदार चौहान पुत्र स्व0 रामनाथ चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 10.शकुन्तला पत्नी द्वारिका निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 11.सोनी पत्नी योगेश निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 12.बीमा चौहान पत्नी मुकेश चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ समय करीब 12.30 बजे थाटा दोयम से पुलिस बल के सहयोग से गिरफ्तार किया जा चुका है, मौके से अन्य अभियुक्त भागने में सफल रहे। मौके पर हमलावरों के द्वारा पथराव के दौरान मौजूद पुलिस बल को भी चोटे आयी हैं, थाना हाजा पर उपस्थित आकर वादी मुकदमा उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा मु0अ0सं0 -82/2025 धारा - 190,191(2),191(3),109,127(2),125,121(1), भा0न्या0सं0 व 7 सीएलए एक्ट व 3/5 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाम 1.जसवन्त चौहान पुत्र अग्निदेव चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 2.चिरंजीव पुत्र विलास चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 3.शिव वचन पुत्र रमई चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़

4.रविकान्त चौहान पुत्र बेहकू चौहान निवासी उचहुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 5.रामआशीष चौहन पुत्र दीप चन्द चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 6.सूरज चौहान पुत्र शोभनाथ चौहान निवासी सेर्रा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 7.राम सरेख चौहान पुत्र प्रभु चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 8.मुरली चौहान पुत्र भोजू चौहान निवासी बघरा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 9.फौदार चौहान पुत्र स्व0 रामनाथ चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 10.शकुन्तला पत्नी द्वारिका निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 11.सोनी पत्नी योगेश निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 12.बीमा चौहान पत्नी मुकेश चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 13.सर्वेश यादव पुत्र कालिका 14.जुगनू पुत्र नीरू चौहान 15.नीरज पुत्र शोभनाथ 16.धीरज पुत्र शोभनाथ 17.मंजू पत्नी बिट्टू 18.हवन्ती पत्नी मिन्दर 19.गुरुचरन पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ व 50 से 60 महिला व पुरुष नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 21.04.2025 को व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त सर्वेश यादव पुत्र कालिका निवासी थाटा सोधनपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को समय करीब 08.00 बजे भीटी से गिरफ्तार किया गया है। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 -82/2025 धारा - 190,191(2),191(3),109,127(2),125,121(1), भा0न्या0सं0 व 7 सीएलए एक्ट व 3/5 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

सर्वेश यादव पुत्र कालिका निवासी थाटा सोधनपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

1.व0उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2.उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3.का0 अजय सिंह थाना तरवां जनपद आजमढ़
4.का0 अभिषेक पाल, थाना तरवां जनपद आजमगढ़
5.म0का0 पूनम मौर्या थाना तरवां जनपद आजमगढ़

02.थाना-कंधरापुर:- दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.04.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त संतोष यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष द्वारा पिछले कुछ वर्षों से वादिनी/पीड़िता को डरा-धमकाकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा तथा उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर रहा है, इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 92/25 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट व 67 ए आईटी एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 21.04.25 को नि0अ0 भगत सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संतोष यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष को उसके घर से समय करीब11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 92/2025 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट व 67 ए आईटी एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

संतोष यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 92/25 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट व 67 ए आईटी एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ।

बरामदगी:-

01. एक अदद मोबाईल ओपो कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.नि0अ0 भगत सिंह थाना कन्धरापुर

2.का0 विजय कुमार यादव थाना कन्धरापुर

03. थाना-मुबारकपुर:- छेड़खानी के अभियोग मे वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.06.2024 को वादिनी द्वारा तहरीर दिया गया कि वादिनी की पुत्री जो दिनांक 04.06.2024 को दिन मे 10.00 बजे घर से बाहर गयी और अभी तक वापस नहीं आई। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 227/2024 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 01. मोनू धाकड़ पुत्र स्व0 मैना धाकड़ निवासी नगला धाकरन थाना नाई की मण्डी जनपद आगरा उम्र 28 वर्ष एवं 2. विशाल चौहान पुत्र यश कुमार निवासी देवखरी थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ 3. कुलदीप चौहान पुत्र अमरजीत चौहान निवासी ग्राम भुसुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 4. अशोक चौहान पुत्र दुलारे चौहान निवासी भुसुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया। जिसमे पूर्व में ही अभियुक्त मोनू धाकड़ उपरोक्त को दिनांक 22.03.2025 को धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 21.04.2025 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर हरैया चट्टी से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 01. कुलदीप चौहान पुत्र अमरजीत चौहान निवासी ग्राम भुसुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 02. अशोक चौहान पुत्र दुलारे चौहान निवासी भुसुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01.कुलदीप चौहान पुत्र अमरजीत चौहान निवासी ग्राम भुसुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

02.अशोक चौहान पुत्र दुलारे चौहान निवासी भुसुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 227/2024 धारा धारा 354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01.उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबेथाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

02.हे0का0 प्रवीण सिंहथाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

03.का0 अनिल राय थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

04.थाना-कोतवालीः- मारपीट कर जान से जान से मारने की धमकी देने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

वादी अभिनव त्रिपाठी पुत्र सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी ग्राम रघुनाथपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 20/04/2025 समय लगभग रात्रि 10.00 बजे के आस पास जब मै भवरनाथ के तरफ से जुनैदगज चौराहे से होते हुए लक्षिरामपुर हड्डी अस्पताल के पास मुड़ा था कि सामने से आते हुए एक मोटरसाईकल वाहन सख्या अज्ञात जिसपर 02 अज्ञात व्यक्ति सवार थे मेरी कार वाहन संख्या UP 50 CU 9003 मे टक्कर मार दिये मै जैसे ही बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकला इतने मे ही पास मे खड़े सन्नी यादव पुत्र अज्ञात निवासी रहमान अस्पताल व उनके कुछ 03 से 04 अज्ञात साथी दोनो मोटरसवारों के साथ मिलकर हाथ मे गैस सिलेन्डर लेकर जान से मारने के नियत से मेरे सर पर वार कर दिये, मै किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से हटा तो वही खड़े गैनेन्द्र पाठक पुत्र स्व0 लाल बहादुर पाठक निवासी ग्राम पठखौली उक्त लोगो ने ललकारते हुए बोला कि साले को जान से मार दो और इसकी गाड़ी जला कर राख कर दो इस उकसावे में आकर उक्त सभी लोग मिलकर उसी गैस सिलेंडर से ही मेरे गाड़ी मे तोड़फोड़ कर सारे शीशे तोड़ दिये और गाड़ी मे रखा पर्श जिसमे 10000(दस हजार) रूपये था चुरा लिये मार पीट मे मेरे गले की सोने की चैन व घड़ी मौके पर ही गायब हो गई,सभी लोग मुझे गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गये। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दि. 15.4.25 को मु0अ0सं0-193/2025 धारा- 3(5),115(2),352,351(3),109,131,324(2),303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़ दर्ज किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 21.04.2025 को उ0नि0 अतीक अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ज्ञानेन्द्र पाठक पुत्र स्व0 लाल बहादुर पाठक सा0 पठखौली थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष को समय करीब 11.50 बजे थाना कोतवाली गेट के उत्तरी छोर से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरणः-

ज्ञानेन्द्र पाठक पुत्र स्व0 लाल बहादुर पाठक सा0 पठखौली थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-193/5 धारा- 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109, 131, 324(2), 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

01. उ0नि0 अतीक अहमद थाना कोतवाली आजमगढ़
02. का0 अखिलेश कुशवाहा थाना कोतवाली आजमगढ़
03. का0 अंकुर कुमार गोड थाना कोतवाली आजमगढ़

05.थाना-निजामाबादः- किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

दिनांक 05.03.25 को वादी की नाबालिग बहन उम्र लगभग 16 वर्ष को अज्ञात अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर अगवा कर लिया गया। परिवारजनों द्वारा खोज बीन किया गया लेकिन नहीं मिलने पर वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 10.3.25 को मु0अ0सं0 82/25 धारा 87, 137(2) BNS पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के बरामदगी, बयान व अन्य साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1)BNS, 3/4(2) पास्को एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT की बढोत्तरी किया गया तथा अभि0 राजू राजभर पुत्र निन्हकू राजभर निवासी नत्थुपुर थाना रानी की सरायं जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 21.04.2024 को उ0नि0 राजेश राय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राजू राजभर पुत्र निन्हकू राजभर निवासी नत्थूपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ को बडागाँव पुलिया गंधुवई के पास से समय करीब 6.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0स0 82/25 धारा 87,137(2), 65(1) BNS , 3/ 4(2) पास्को एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT थाना निजामाबाद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजू राजभर पुत्र निन्हकू राजभर निवासी नत्थूपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01. उ0नि0 राजेश राय थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ

02. हे0का0 हरिश्चन्द्र प्रसाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ

03. का0 विक्रम मौर्य थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा मुख्य आरक्षीगण के प्रोन्नति उपरांत 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलन कर किया गया उद्घाटन।

आज दिनांक 21.04.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में स्थित पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा महिला मुख्य आरक्षीगण के प्रोन्नति उपरांत 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर एवं प्रशिक्षण किट वितरण कर शुभारम्भ किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उद्घाटन वक्तृत्व दिया गया। इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल द्वारा साइबर क्राइम पर प्रशिक्षण दिया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशान्तराज हुड्डा द्वारा डार्क वेब इंटरनेट पर वक्तव्य दिया गया। क्षेत्राधिकारी नगर श्री गौरव शर्मा द्वारा साइबर फोरेंसिक विषय पर जानकारी दी गयी। कार्यक्रम का संयोजन विवेक त्रिपाठी अपर पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा किया गया।